न्यायालयः उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी (अलवर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री नवनीत कुमार – I (RAS)
प्रार्थना पत्र संख्या : 01/122
तारीख दायर : 14/06/2018

उनवान

1. हरिकिशन पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी गुवाडा लेसवा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री बी.आर.सैनी. एडवोकेट प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांक 02/02/2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाकै ग्राम गुवाडा बिरकडी, तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

में आराजी खसरा नम्बर 596 रकबा 0.01 हैक्टैयर गैर मुमकिन खड्डा, 597 रकबा 1.51 हैक्टैयर बारानी तृतीय किता 2 रकबा 1.52 हैक्टैयर स्थित चली आती है। जो आराजी प्रार्थना पत्र हाजा में विवादित बयान की गयी है।

हाल आराजी खसरा नम्बर 596 रकबा 0.01 हैक्टैयर गैर मुमकिन खड्डा, 597 रकबा 1.51 हैक्टैयर का साबिक खसरा नम्बर 557 रकबा 06 बीघा से बना है। जैसा मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2060 से प्रमाणित है।

उपरोक्त विवादित आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त गैर खातेदारी की चली आती है। जो साबिक आराजी प्रार्थी को सरकार द्वारा दिनांक 14/12/78 को आवंटन की गयी थी। जिस विवादित आराजी पर प्रार्थी का आवंटन से काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। आज भी मौके पर प्रार्थी का उक्तानुसार कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है।

उपरोक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी बरोज आवंटन से लगातार काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी विवादित आराजी पर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। आज भी मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त गैर खातेदारी का मौजूद है। प्रार्थीगण जाति से ब्राहमण है। वक्त आवंटन प्रार्थी की जाति शर्मा (ब्राहमण) दर्ज चली आती है। लेकिन बाद आवंटन जब प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी का इन्तकाल संख्या 58 दर्ज किया गया उसमें जाति मीना दर्ज कर दिया एवं इसके बाद बने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी की जाति मीना दर्ज है। जो इन्द्राज कतई गलत एवं खिलाफ कानून व मौका है और प्रार्थी के हकूको के मुकाबिले बातिल वो वे असर नाकाबिल पाबन्दी है। राजस्व कर्मचारियों को प्रविष्टि बदलने का कोई

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

हक व अधिकार नही है। जिसको अब रिकार्ड में दुरूस्ती कराना आवश्यक हुआ है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है। जिसको कानून की जानकारी नही है। प्रार्थी इसी विश्वास में रहा कि विवादित आराजी के खाते में उनकी जाति ब्राहमण दर्ज होगी। दिनांक 24/04/2018 को जब प्रार्थी अपने खाते की नकल गैर खातेदारी से खातेदारी कराने के लिए पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का के बताये जाने पर उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी प्रार्थी को हुई। जिस पर प्रार्थी ने अपने हाल एवं साबिक रिकार्ड की नकुलात प्राप्त की। इसलिए हाल रिकार्ड में जाति मीना से ब्राहमण दर्ज कर दुरूस्ती उक्तानुसार करवाया जाना आवश्यक है। जिस हेतु भी यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी सीधा साधा व्यक्ति है। जिनकी जाति ब्राहमण वक्त आवंटन सही दर्ज की गयी थी। राजस्व कर्मचारियों ने गैर खातेदारी इन्द्राज दर्ज करते समय लापरवाही से प्रार्थी की जाति ब्राहमण से मीना दर्ज कर दी। राजस्व कर्मचारियों को कोई भी प्रविष्टि को बदलने का अधिकार नही है। प्रार्थी के नाम जाति ब्राहमण हाल राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी में दर्ज नही रहने से भारी नापूर्ति नुकसान हो रहा है। जिस गलत इन्द्राज को प्रार्थी कलमजन कराकर अपने नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में जाति ब्राहमण दर्ज कराकर दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। इसलिए विवादित आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी की जाति ब्राहमण दर्ज करवाया जाना एवं दुरूस्ती करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हुआ है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरूरी नोटिस तलब किया गया एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि विवादित आराजी प्रार्थी को सरकार द्वारा दिनांक 14/12/1978 को आवंटन की गयी थी। जिस विवादित आराजी पर प्रार्थी वक्त आवंटन से काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। आज भी मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त गैर खातेदारी का मौजूद है। प्रार्थी जाति से ब्राहमण है। वक्त आवंटन प्रार्थी की जाति शर्मा (ब्राहमण) दर्ज चली आती है। लेकिन बाद में आवंटन जब प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी का इन्तकाल संख्या 58 दर्ज किया गया उसमें जाति मीना दर्ज कर दिया। जिसको अब रिकार्ड में दुरूस्ती किया जावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं उपलब्ध दस्तावेजात से प्रमाणित होता है कि प्रार्थी को दिनांक 14/12/1978 को विवादित आराजी आवंटित हुई है। बाद आवंटन प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी का इन्तकाल संख्या 58 दर्ज किया गया। उसमें जाति मीना दर्ज कर दिया जो कि नामान्तरण पंजिका ग्राम गुवाडा बिरकडी तहसील थानागाजी दिनांक 28/01/1983 से प्रमाणित है। अब प्रार्थी विवादित आराजी दर्ज जाति मीना को दुरूस्त वक्त आवंटन अनुसार शर्मा (ब्राहमण) दर्ज कराना चाहता है। अतः आवंटन आदेश एवं नामान्तरण पंजिका में दर्ज रिकार्ड के अवलोकन से प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिले दुरूस्त है।

खण्ड अधिकारी
गाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 596 रकबा 0.01 हैक्टैयर गैर मुमकिन खड्डा, 597 रकबा 1.51 हैक्टैयर बारानी तृतीय वाकै ग्राम गुवाडा बिरकडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान के हाल राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में प्रार्थी की जाति मीना के बजाय/स्थान पर ब्राहमण दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार दुरूस्ती हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार थानागाजी को प्रेषित है।

निर्णय आज दिनांक 02/02/2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

नवनीत कुमार I (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner